स्कूलों में पुस्तकालय की ज़रूरत अतीत, आज और आगे

रजनी द्विवेदी

कुछ महीनों पहले की बात है, एक शहर के दो सार्वजनिक पुस्तकालयों में जाना हुआ। काफ़ी पुराने पुस्तकालय थे। हिन्दी और अँग्रेज़ी साहित्य के साथ विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी वहाँ थीं, लेकिन धूल खा रही थीं। बहुत-से विद्यार्थी भी वहाँ थे, और वे सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वहाँ थे। पुस्तकालय के अन्दर ही नहीं, बाहर बैठकर भी वे इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ रहे थे। लाइब्रेरियन को भी यही लगता था कि उन्हें *प्रतियोगिता दर्पण, कॉम्पिटिशन सक्सेस* जैसी पुस्तकों की ही ज़रूरत है। ऐसे कई पुस्तकालय खुल भी रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की पुस्तक उपलब्ध कराते हैं। महीनेभर के लिए कुछ नॉमिनल फ़ीस लेते हैं, और विद्यार्थी वहाँ जाकर पुस्तकों व डिजिटल मंच से ज़रूरी सामग्री देख-पढ़ सकते हैं। क्या हमारे शैक्षिक दस्तावेज़ों में ऐसे ही पुस्तकालय की कल्पना थी / है?

स्कूल में पुस्तकालय होना चाहिए, यह कथन सभी शैक्षिक दस्तावेज़ों में रेखांकित किया जाता है। लेकिन पुस्तकालय का पूरा स्कीमा, उसकी अवधारणा क्या हो, यह एक बड़ा सवाल है। इसमें ऐसे कुछ प्रश्न भी शामिल होंगे। जैसे– स्कूल में यह पुस्तकालय क्यों हो; इसकी ज़रूरत क्या है; इसका स्वरूप क्या हो; पुस्तकालय का संचालन कैसे हो; लाइब्रेरियन का काम क्या हो; पुस्तकालय कैसे बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने में मददगार बने; पुस्तकालय में किस-किस तरह की पुस्तकें हों; इन पुस्तकों का चयन कैसे हो; स्कूल और पुस्तकालय का जुड़ाव कैसे बने; बच्चे पुस्तकालय की किताबें पढ़ रहे हैं या नहीं, इसका पता कैसे चले; बच्चों को किताबों को पढ़ने के लिए समय मिले और उनको उन्हें पढ़ने की ज़रूरत भी लगे, यह कैसे हो; आदि।

हालाँकि इन प्रश्नों पर मनन हुआ है। अलग-अलग दस्तावेज़ों में पुस्तकालय के सन्दर्भ में दिए गए हिस्सों को देखने पर पता चलता है

कि अलग-अलग समय पर अलग-अलग दृष्टि से इन प्रश्नों के बारे में सोचा गया। इस लेख में, कुछ चयनित शैक्षिक दस्तावेज़ों में स्कूल में पुस्तकालय की ज़रूरत को कैसे देखा और समझा गया है, इसको समझने की कोशिश है, ताकि हम इन दस्तावेज़ों में कही बातों को साथ में देखते हुए पुस्तकालय के होने के बारे में अपने नज़रिए, दृष्टि को विस्तार दे पाएँ।

मुदलियार कमीशन 1952–53

आज़ादी के बाद, स्कूली शिक्षा पर सबसे पहला कमीशन मुदलियार कमीशन था। इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। यह 1952 में गठित किया गया था। कमीशन में केन्द्र सरकार के और देश के कुछ राज्यों से प्रतिनिधि भी शामिल किए गए थे। देश में उस वक़्त चल रही स्कूली शिक्षा की परिस्थितियों को समझने के लिए कमीशन के सदस्यों द्वारा विभिन्न राज्यों में चल रहे स्कूलों का दौरा भी किया गया। इन दौरों के सन्दर्भ इस रिपोर्ट में कई जगह मिलते हैं।

इस कमीशन में 11 से 17 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को लेकर बात की गई थी। 5 साल की प्राथमिक शिक्षा के बाद की 3 साल की मिडिल और जूनियर सेकेंडरी और फिर हायर सेकेंडरी की शिक्षा। इसी के मद्देनज़र कमीशन की पूरी रिपोर्ट और अनुशंसाएँ थीं। रिपोर्ट में कक्षा 6 से 12 तक की स्कूली शिक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात की गई है। जैसे– मौजूदा शिक्षा का ढाँचा और स्वरूप कैसा है; स्कूलों की पाठ्यचर्या क्या हो; पाठ्यचर्या में किस तरह की बेहतरी की ज़रूरत है; पाठ्यपुस्तकें और उनकी भूमिका व सिखाने के डायनेमिक तरीक़ों में क्या बेहतरी की ज़रूरत है; आदि।

रिपोर्ट में 'सिखाने के डायनेमिक तरीक़े' (Dynamic Methods of Teaching – 7) अध्याय के तहत पुस्तकालय पर भी विस्तार से बात की गई है और इस हिस्से का शीर्षक है– 'स्कूल में पुस्तकालय की जगह' (The Place of the Library in Schools, p.89)। इस हिस्से का बिन्दुवार सारांश (बिन्दु 1, 2, 3, 4) नीचे दिया गया है।

1. पुस्तकालय की ज़रूरत क्यों?

- बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए।
- सीखने-सिखाने में पाठ्यपुस्तकों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए (सन्दर्भ पुस्तकों का इस्तेमाल।)
- बढ़ते हुए बच्चों के विकसित होते दिमाग़ को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यपुस्तकें काफ़ी नहीं हैं (सिर्फ़ पाठ्यपुस्तकें बच्चों की जिज्ञासाओं पर उन्हें कार्य करने के लिए सामग्री नहीं दे सकतीं। किसी विषय पर व्यापक समझ बनाने के लिए भी पाठ्यपुस्तक से इतर पुस्तकों का इस्तेमाल ज़रूरी है।)
- सिर्फ़ परीक्षा के लिए पढ़ने की बजाय बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित होनी चाहिए।

चाहे बच्चे कोई काम व्यक्तिगत तौर पर करें, या समूह में कोई प्रोजेक्ट करें, इनके लिए पुस्तकालय चाहिए ही। साथ ही, कई शौक़ और को-करिकुलर गतिविधियों के लिए भी पुस्तकालय की ज़रूरत होती है। (उदाहरण के लिए, स्कूल के किसी कार्यक्रम के लिए किसी अच्छे नाटक या गीत का चुनाव, वाद-विवाद या निबन्ध प्रतियोगिता के लिए पुस्तकें, चित्रकला या संगीत के लिए सन्दर्भ पुस्तकें।)

2. पुस्तकालय कैसा हो?

- यह स्कूल की सबसे आकर्षक जगह हो, ताकि विद्यार्थी सहज रूप से उसकी ओर आकर्षित हों।
- पुस्तकालय बड़े, रोशनीदार हाल या कमरे में हो।
- कलात्मक रूप से भी सुन्दर हो।
- पुस्तकालय का फ़र्नीचर कलात्मक और क्रियात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। इसमें किताबों को रखने की अलमारी, मेज़, कुर्सी, पढ़ने की डेस्क, आदि के साथ। कुछ खुली अलमारियाँ भी हों, ताकि बच्चे किताबों तक पहुँच सकें। किताबों का इस्तेमाल करना या ख़ाली समय में पढ़ना जैसे काम बच्चे ख़ुद ही कर सकें।
- पुस्तकालय को सजाने के लिए बच्चों का सहयोग लिया जाए, ताकि उनमें यह भाव पनपे कि पुस्तकालय उनका ख़ुद का है।

3. किताबों का चयन कैसे हो?

- चयन के लिए ऐसे शिक्षकों की समिति हो जिन्हें पुस्तकें पढ़ने से प्यार हो।
- यह समिति बच्चों की पढ़ने की दिलचस्पियों के अध्ययन का काम भी कर सकती है।
- इन दोनों कामों में कुछ वरिष्ठ विद्यार्थी भी मदद कर सकते हैं।
- किताबों को चयन करने का मुख्य आधार यह नहीं होना चाहिए कि शिक्षक के नज़रिए में बच्चों को कौन-सी किताबें पढ़नी चाहिए, बल्कि पुस्तकालय के लिए किताबें चुनने का आधार बच्चों की दिलचस्पियाँ होना चाहिए।
- अगर किसी उम्र के बच्चे साहसिक गतिविधियों, यात्रा, जीवनी, जासूसी या अपराध से सम्बन्धित किताबें पढ़ना चाहते हैं, उनको यह पढ़ने की आज़ादी देनी चाहिए। ऐसे में, उनको कविता, क्लासिक या बेले लेटर पढ़ने के लिए कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, यह शिक्षक पर निर्भर करेगा कि वह कैसे बच्चों को अलग-अलग तरह की किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर पाते हैं।

चित्र : प्रशांत सोनी

4. लाइब्रेरियन कैसा हो?

- बहुत योग्य और प्रशिक्षित लाइब्रेरियन हो, जोकि पद और वेतन की दृष्टि से वरिष्ठ शिक्षक के बराबर होगा।
- ऐसा लाइब्रेरियन पूरे समय के लिए होगा।
- उसकी भूमिका होगी– बच्चों में किताबों के प्रति दिलचस्पी पैदा करना, किताबों का चयन और उनपर चर्चा करना।
- अलग-अलग कक्षाओं के लिए जो किताबें उपयुक्त लगती हैं, उनकी सूची बनाना और इस सूची से सभी को अवगत कराना।
- समीक्षा के लिए किताबों को डिस्प्ले करना।
- किताबों की प्रदर्शनी लगाना और रीडिंग प्रोजेक्ट आयोजित करना।

रिपोर्ट कहती है कि विद्यालय में एक केन्द्रीय पुस्तकालय होगा। साथ ही, कक्षा पुस्तकालय और ख़ास विषय के पुस्तकालय भी हों। रिपोर्ट जन-वाचनालयों की बात भी करती है। कक्षा पुस्तकालय ऐसा हो जिसमें किताबें एक निश्चित अन्तराल के बाद बदल दी जाएँ। विषय पुस्तकालय की ज़िम्मेदारी उस ख़ास विषय के शिक्षक की ही हो। वे अपने विषय की पुस्तकों का एक छोटा संग्रह रखें। इस संग्रह में सिर्फ़ उस विषय की पाठ्यपुस्तकें न होकर उस विषय में होने वाले उन्नत कार्य, उस विषय की सन्दर्भ पुस्तकें, जर्नल, और सम्बन्धित अन्य विषयों की भी कुछ पुस्तकें हों। ऐसा इसलिए, ताकि जब कभी विद्यार्थियों को इन पुस्तकों को बरतने, पढ़ने का मौक़ा मिले, उनको उस विषय का एक व्यापक नज़रिया मिल पाए। रिपोर्ट में शिक्षकों व स्कूल के हेडमास्टर से अपेक्षा है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, और कितना। यह कैसे किया जा सकता है, इसका तरीक़ा भी यह रिपोर्ट सुझाती है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, मुदलियार रिपोर्ट में दिए गए हिस्से का यह सारांश मात्र है। पुस्तकालय की ज़रूरत के बारे में बात करते हुए रिपोर्ट इस बिन्दु को भी रेखांकित करती है कि यदि हम स्कूलों में एक बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रभावी पुस्तकालय सेवा नहीं दे पाए, हम स्कूली शिक्षा के सन्दर्भ में की गईं कई अनुशंसाओं और प्रयोजनों को पूरा नहीं कर पाएँगे।

स्कूल में, समाज में पुस्तकालय की ज़रूरत की बात सन् 1952 में सोची गई थी। इसका ढाँचा क्या होगा; और कैसे एक प्रभावी पुस्तकालय संचालित हो पाएगा? इस बारे में मुदलियार रिपोर्ट में सुझाया गया था। इस हिस्से को पढ़ने पर यह सवाल ज़ेहन में आता ही है कि जब स्कूली शिक्षा में पुस्तकालय के सन्दर्भ में इतनी व्यापक दृष्टि से सोचा गया था, यह आज तक पूरा क्यों नहीं हो पाया; या इसमें कुछ बुनियादी भी आज तक हासिल क्यों नहीं हो पाया?

एक और सवाल उभरता है, इसमें प्राथमिक स्कूलों के बारे में ज़िक्र नहीं है। लेकिन तब पुस्तकालय के बारे में जो बात कही गई है, नज़रिया दिया गया है, वह किसी भी स्तर और जगह पर पुस्तकालय के सन्दर्भ में ठीक लगता है।

अन्य दस्तावेज़

इस दस्तावेज़ के काफ़ी लम्बे समय बाद आई *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* में पुस्तकालय का ज़िक्र था। इस ज़िक्र का सन्दर्भ यह था कि इसमें प्रारम्भिक स्तर पर सीखने की एक ज़रूरी सामग्री के तौर पर किताबों को भी देखा गया। 6 साल बाद बनी इस शिक्षा नीति की कार्य योजना में प्राथमिक स्कूलों में किताबें उपलब्ध करवाने की बात थी। नीति की कार्य योजना में 'प्राथमिक स्तर पर ज़रूरी सुविधाएँ' शीर्षक के तहत एक बिन्दु है– पुस्तकालय के लिए किताबें। इसमें इन किताबों का उल्लेख किया गया है– i) सन्दर्भ किताबें– शब्दकोश और ज्ञानकोश (Encyclopaedia); ii) बच्चों की किताबें (कम-से-कम 200); (iii) शिक्षकों व बच्चों के लिए पत्रिकाएँ, जर्नल और समाचार पत्र। (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कार्य योजना 1992,* पृ. 27)

इसके बाद इस कार्य योजना में पुस्तकालय की बात है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में अध्यापकों (स्टाफ़) व विद्यार्थियों के द्वारा पुस्तकालयों का उपयोग सन्तोषजनक नहीं है। इसी बिन्दु में बड़ी संख्या में लर्निंग रिसोर्स सेंटर स्थापित करने की भी बात कही गई है। (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कार्य योजना 1992,* बिन्दु 19, पृ. 57)

इस कार्य योजना में, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के तहत प्राथमिक स्कूलों में 2 कमरों और सीखने-सिखाने की किट के साथ-साथ 200 पुस्तकें उपलब्ध कराने की भी बात थी। पुस्तकों का चयन भी एनसीईआरटी द्वारा किया गया, और उनकी सूची भी बनाई गई। बहुत-से स्कूलों में पुस्तकें पहुँचीं भी, बहुतों में नहीं भी। कई विद्यालयों में पुस्तकें उपलब्ध करवाने के बावजूद उनमें से अधिकांश पुस्तकों का उपयोग बच्चों के साथ नहीं ही हो पाया। यह बात कई शिक्षकों और अकादमिक व्यक्तियों से चर्चा में सामने आती है कि पुस्तकें बक्से में बन्द होकर ही रह गईं। लेकिन सामग्री उपलब्ध करवाना पहला क़दम था और इस कार्य योजना के तहत पहली बार इस दिशा में न सिर्फ़ कुछ ठोस सोचा गया, वरन् उसपर कार्यवाही भी की गई। इन किताबों व सामग्री के उपयोग में कई तरह की दिक़्क़तें भी पेश आईं। एक समस्या तो बहुत पहले से चले आ रहे भण्डार ख़रीदी व रख-रखाव के नियमों व ढाँचे में सामग्री के ग़लत इस्तेमाल व लीकेज की थी। दूसरा डर यह था कि इन किताबों व अन्य सामग्री को पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलाना था। यह किताबें स्कूलों के पुस्तकालयों में पड़ी रहीं। इस अनुभव से, किताबों को कौन व कैसे चुनेगा और किताबों के रख-रखाव व उनके इस्तेमाल में ख़राब होने की परिस्थिति, दोनों के मामले में विचार हुआ और नए रास्ते सोचे गए। धीरे-धीरे पुस्तकों को ख़र्च होने वाले सामान में जोड़ा जाने लगा और किताबों के चुनाव में स्कूल व शिक्षकों की भागीदारी के रास्ते कई तरह से कई राज्यों में खोले गए। हालाँकि, बहुत-से राज्यों में राज्य स्तर पर ही पुस्तकों का चयन किया गया और वे ख़रीदकर भेजी गईं। इन सबके मिश्रित अनुभव थे, किन्तु जहाँ अच्छे व स्वतंत्र ढंग से अच्छे प्रकाशकों की किताबों में से स्कूलों व शिक्षकों को छाँटने के मौक़े दिए गए, वहाँ अच्छे बाल साहित्य और शिक्षकों की ज़िम्मेदारी की भावना व उनकी स्वायत्तता को फ़ायदा हुआ। धीरे-धीरे

सभी अध्ययनों में, शिक्षक यह कहते प्रतीत होने लगे कि स्कूलों में पुस्तकें उपलब्ध करवाने के ये प्रयास नियमित रूप से होते रहने चाहिए।

नब्बे के दशक से ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भी पुस्तकालय, किताबों की उपलब्धता व उनके इस्तेमाल के तरीक़े को लेकर कुछ प्रयास किए गए। इस पूरे अरसे में कई सरकारी और ग़ैर-सरकारी प्रयास शुरू भी हुए और विस्तारित भी। कई राज्यों ने पुस्तकालय को लेकर प्रशिक्षण भी आयोजित किए। कुल मिलाकर, स्कूल तक, कक्षा और वहाँ से घर तक पुस्तकें पहुँचने की क़यावद कई तरह से होती रही। बच्चों के लिए उपयुक्त पुस्तकें बनाने का काम ज़ोर-शोर से हुआ। हालाँकि, नई तरीक़े की, बच्चों की दृष्टि से रोचक व उनके सन्दर्भ से जुड़ी पुस्तकें बनाने का अधिकांश काम कुछ ग़ैर-सरकारी संस्थाओं और एनबीटी जैसे संस्थानों ने किया, किन्तु एनसीईआरटी ने भी बाल साहित्य के आगे बढ़ने की दिशा बनाने वाली *बरखा* सीरीज़ तैयार की। यह सीरीज़ न सिर्फ़ सीखने-सिखाने, पढ़ने का शौक़ पैदा करने व ऐसे ही दूसरे साहित्य के स्वरूप में योगदान देती है, वरन् एक उम्मीद भी पैदा करती है।

इन सब प्रयासों व ढाँचागत परिवर्तनों के बावजूद, अधिकांश स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों से इतर पुस्तकें पढ़े जाने की संस्कृति नहीं है। किताबें अभी भी अलमारियों में बन्द हैं। बच्चों के इस्तेमाल से किताबें फट जाने का डर व पाठ्यपुस्तकों से इतर किताबें पढ़ने को अनावश्यक और पढ़ाई से भटकाव माना जाता है। किताबें ख़रीदी जाना प्राथमिकता नहीं है। इसके अलावा, *बरखा* सीरीज़ के बावजूद अधिकांशतः किताबें ख़रीदते समय बच्चों की रुचि व पसन्द के स्थान पर नैतिक विकास और उन्हें कुछ सिखा देने वाली किताबों को ही तरज़ीह दी जाती है। ऐसे में, हाल ही में आए दस्तावेज़ों में इन मसलों को दोबारा उठाया गया है। इन दस्तावेज़ों में इन्हें कैसे रखा गया है, अब इसको देखते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

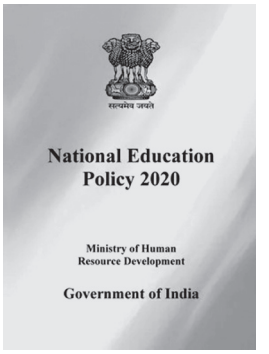

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पुस्तकालय की बात मुख्य रूप से बिन्दु 2.8 में कही गई है। नीति के अनुसार,

"सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके लिए आवश्यकतानुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद (आवश्यकतानुसार तकनीकी मदद से) भी करवाए जाएँगे। देशभर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालय का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएँगे। गाँवों में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना से समुदाय को भी लाभ होगा, जो स्कूली समय के पश्चात उसका लाभ ले सकते हैं। बुक क्लब के सदस्य इन स्कूली / सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकते हैं। इससे पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुँच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी (बिन्दु 2.8)। नीति यह भी कहती है कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए बेहतरीन पुस्तकालय जैसे संसाधन होना ज़रूरी है (बिन्दु 12.1), और इसलिए यह पुस्तकालयों को मज़बूत बनाने की बात भी कहती है (बिन्दु 6.15)।

शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकों तक पहुँच और उपलब्धता बेहतर करना ज़रूरी है। केन्द्र व राज्य सरकारें

ये सुनिश्चित करेंगी कि पूरे देश में सभी की पुस्तकों तक पहुँच हो और पुस्तकों का मूल्य सभी की ख़रीद सकने की सामर्थ्य के अन्दर हो। पुस्तकालय संचालन व उसे जीवन्त बनाने के लिए यथोचित संख्या में पुस्तकालय स्टाफ़ की उपलब्धता हो। अन्य प्रयासों में शामिल होंगे– विद्यालय के पुस्तकालयों को समृद्ध करना, वंचित क्षेत्रों में ग्रामीण पुस्तकालयों व पठन कक्षों की स्थापना करना, भारतीय भाषाओं में पठन सामग्री उपलब्ध कराना, बाल-पुस्तकालय व चल-पुस्तकालय खोलना, पूरे भारत में सामाजिक पुस्तक क्लबों की स्थापना व शिक्षण संस्थानों और पुस्तकालयों में आपसी सहयोग बढ़ाना। (बिन्दु 21.9)

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा : फ़ाउंडेशनल स्टेज (2022)

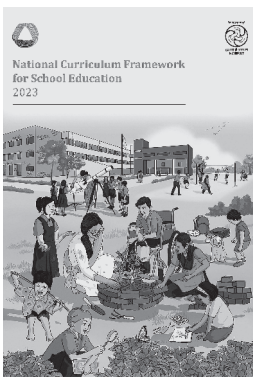

इस रूपरेखा में पुस्तकालय और बाल साहित्य के तहत पुस्तकालय की बात की गई है। इसके अनुसार, बच्चे किताबें टटोलें, उनके पन्नों को उलटें-पलटें, किताबें पढ़ें। पुस्तकालय का यह विचार भारतीय सन्दर्भ में ज़रूरी है, जहाँ किताबों से पढ़ने की संस्कृति अब जगह बनाने लगी है। (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा : फ़ाउंडेशनल स्टेज (2022),* बिन्दु 5.4.5, पृ. 157)

पुस्तकालय बच्चों के लिए आकर्षक हो, बच्चे पुस्तकालय से किताबें लें और उन्हें घर ले जाकर पढ़ें। शिक्षक मुख्य पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें कक्षा में प्रदर्शित करें और बच्चों में पुस्तकों के प्रति दिलचस्पी जगाने के लिए पुस्तकालय में रीड अलाउड जैसे सत्र करें। भारतीय भाषाओं में ऑडियो पुस्तकों की बात भी बिन्दु 5.4.5 में कही गई है।

स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023

यह दस्तावेज़ भी कहता है कि पुस्तकालय अहम हैं। यह तीन तरह के पुस्तकालयों की बात करता है– स्कूल पुस्तकालय, कक्षा पुस्तकालय व समुदाय पुस्तकालय (जो एक तरह से स्कूल पुस्तकालय का ही एक एक्सटेंशन है) (*स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2023,* पृ. 582-583)। स्कूल में पुस्तकालय के लिए अलग से समय देने की बात भी इसमें कही गई है।

इस दस्तावेज़ में उल्लेख है कि पुस्तकालय इस बात की गुंजाइश देता है कि बच्चे पुस्तकों से इतर, स्वयं प्रेरित होते हुए, निर्देशित ज्ञानार्जन कर पाए। इसीलिए स्कूलों में पुस्तकालय का होना ज़रूरी है।

पुस्तकालय के लिए कोई भी एक कमरा निर्धारित किया जा सकता है, या फिर पुस्तकें कक्षा में भी रखी जा सकती हैं। लेकिन महत्त्वपूर्ण यह है कि ज़रूरी किताबें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों और आसानी से मिल भी पाएँ। पुस्तकालय में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सहायक उपकरण, ऑडियो पुस्तकें, ब्रेल पुस्तकें और ऐसे ही अन्य संसाधन भी हों।

किताबों का चयन करने में शिक्षक की भूमिका और पुस्तकालय में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की बात भी इस दस्तावेज़ में है। इस दस्तावेज़ में सुझाई गई कुछ सृजनात्मक गतिविधियाँ हैं– रीड अलाउड, कहानी सुनाने के सत्र, किताबों की समीक्षा, पॉपअप या बिग बुक बनाना, किसी पुस्तक के लेखक से मिलने के लिए सत्र आयोजित करना, लेखन कार्यशाला, बुकमार्क बनाना, किताबों की सार-सँभाल, किताबों के लिए चित्र बनाना, किताबों के आवरण बनाना, किताबों की बाइंडिंग के काम, आदि।

साथ ही, पुस्तकालय समिति में शिक्षक और विद्यार्थी के साथ समुदाय के सदस्य भी हों, जो पुस्तकालय व इसमें होने वाली विभिन्न गतिविधियों का संचालन व प्रबन्ध करें।

हालाँकि, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम हर स्कूल में एक केन्द्रीय पुस्तकालय की कल्पना को साकार नहीं कर पाए हैं। मुदलियार कमीशन की रिपोर्ट में पुस्तकालय के लिए दिया गया अवधारणात्मक ढाँचा आज भी मौजूँ लगता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो कल्पना तब की गई थी वह आज या अगले कुछ वर्षों में भी साकार हो पाएगी! इन सभी दस्तावेज़ों में कही गई बातों को सम्मिलित रूप से देखने पर आज के स्कूल के पुस्तकालय की यह तस्वीर हम बना सकते हैं।

1. स्कूल में पुस्तकालय होना ही चाहिए। यदि स्कूल में पुस्तकालय के लिए जगह न हो, तब किसी एक कक्षा को पुस्तकालय निर्धारित किया जा सकता है। (शायद कुछ ही विद्यालयों में यह हो पाए, क्योंकि बहुत-से विद्यालयों में शायद कक्षा के लिए भी कमरा न हो! ऐसे में उन विद्यालयों के लिए चल-पुस्तकालय, झोला पुस्तकालय या कक्षा पुस्तकालय विकल्प हो सकते हैं।)

2. यदि पुस्तकालय के लिए कमरा निर्धारित हो पाए, तब पुस्तकें कहाँ से आएँ? (वैसे तो यह राज्य व केन्द्र सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि वे पुस्तकें उपलब्ध कराएँ, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* बिन्दु 21.9) क्या यह हो पाएगा, और किस हद तक? (इसके लिए कुछ क़दम उठाए भी गए हैं। जैसे– समग्र शिक्षा के तहत दिया गया अनुदान।) *स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा* में सुझाया गया है कि स्कूल की पुस्तकालय समिति के सदस्य (शिक्षक, युवा विद्यार्थी, समुदाय के सदस्य, आदि) एक पुस्तक दान अभियान भी चाल सकते हैं। यह अभियान पुस्तकालय स्थापित करने में मददगार हो सकता है। और इसके दोतरफ़ा फ़ायदे भी होंगे। हम यह जान पाएँगे कि कौन पुस्तक प्रेमी हैं और इसके लिए डोनेशन करना चाहेंगे। वहीं हो सकता है कुछ लोग इस मुहिम के चलते पुस्तक प्रेमी भी बन जाएँ।

3. निर्धारित पुस्तकालय में पुस्तकें रखने के लिए अलमारियों की व्यवस्था कैसे होगी; इसके लिए राशि कहाँ से आएगी; आकर्षक व उपयोगी फ़र्नीचर कैसे उपलब्ध हो पाएगा? इस बारे में दस्तावेज़ों में साफ़तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

4. पुस्तकालय के लिए सुयोग्य लाइब्रेरियन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। यह कैसे होगा? लाइब्रेरियन के न होने पर किसी ऐसे शिक्षक को पुस्तकालय संचालन की ज़िम्मेदारी लेनी होगी जिसकी ख़ुद की पढ़ने-लिखने में रुचि हो। शिक्षक कुछ बच्चों को भी इसके लिए तैयार कर सकते हैं और उन्हें भी संचालन की ज़िम्मेदारी दे सकते हैं।

5. जिन स्कूलों में पुस्तकालय हैं, उन्हें जीवन्त बनाने के लिए ऊपर सुझाई गई गतिविधियाँ अलग-अलग समय पर करवाई जा सकती हैं। लेकिन बच्चों की पढ़ने में दिलचस्पी बने, पढ़ना उनकी आदत में शुमार हो सके, इसके लिए यह ज़रूरी है कि किताबें उनकी पहुँच

में हों। उन्हें किताबें चुनने, टटोलने और कुछ किताबों के कुछ पन्ने पढ़कर छोड़ देने की आज़ादी हो। पढ़ने की आदत विकसित होने में अपनी दिलचस्पी के अनुसार किताबें चुनने की भी अहम भूमिका होती है, इसलिए इसके अवसर भी बच्चों को देने होंगे।

भारतीय स्कूलों में पुस्तकों के उपयोग की सम्भावनाओं, उन्हें रचने की दिशा में किए गए प्रयासों व उनके प्रभावों के बारे में बहुत संक्षेप में यहाँ बताया गया है। पुस्तकालय की ज़रूरत को सभी नीतियों ने कमोबेश स्वीकार ही किया है। किन्तु यह स्कूलों तक पहुँच पाए, इसके लिए क्या और कैसे करना है, इसपर काम करने की ज़रूरत है। इसकी राह में एक बड़ा रोड़ा अभिभावकों, आमजन और ख़ुद शिक्षकों व स्कूल संचालन से जुड़े अधिकांश लोगों में पुस्तकालय की समझ न होना है। यह सच है कि स्कूल में सबको उपलब्ध मज़बूत केन्द्रीय पुस्तकालय का कोई विकल्प नहीं हो सकता, पर कक्षा पुस्तकालय व रीडिंग कॉर्नर जैसी जगह बहुत उपयोगी होती हैं। लेकिन इनका फ़ायदा भी तभी है, यदि इन तक सीखने वाले की पहुँच और इच्छा हो। पुस्तकालय के सार्थक रूप से उपयोग में शिक्षकों व उनकी समझ की अहम भूमिका है।

यह तो स्पष्ट है कि पुस्तकालय का मतलब सिर्फ़ पुस्तकें उपलब्ध कराना नहीं है, न ही इसका आशय बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाने से है। पुस्तकालय, स्कूल और शिक्षा आपस में जुड़े हैं। पुस्तकालय में बच्चे पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करते हैं। वे वहाँ किताब के चुनाव के साथ, एक जगह बैठकर अलग-अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। वे जब चाहें, चुनी हुई किताब को पढ़ना छोड़कर नई किताब ले सकते हैं। सीखने में स्वतंत्रता की बात अगर करें, तो पुस्तकालय ही यह स्वतंत्रता दे पाते हैं। इस तरह, पुस्तकालय स्वायत्त ज्ञानार्जन को सहज बनाते हैं और व्यापक भी। एक बात जो ध्यान देने की है और कई जगह रेखांकित भी की गई है कि स्कूलों में पुस्तकालय का सफल संचालन तभी हो सकता है, जब समाज में भी इसकी ज़रूरत की समझ हो। अतः आमजन की पढ़ने में रुचि बने, ऐसे प्रयास किए जाना भी ज़रूरी है।

सन्दर्भ

1. https://www.educationforallinindia.com/1953%20Secondary_Education_Commission_Report.pdf (Mudaliar Commission Report, accessed on 20th November 2023)
2. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf (NPE 1986 Action Plan – MHRD website, accessed on 25th November 2023)
3. https://ncert.nic.in/pdf/NCF_for_Foundational_Stage_20_October_2022.pdf
4. NCF for Foundational Stage, NCERT website, accessed on 26th November 2023
5. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/infocus_slider/NCF-School-Education-Pre-Draft.pdf (NCF for School Education, accessed on 26th November 2023)
6. https://samagra.education.gov.in/docs/Library.pdf (Accessed on 1st December 2023)
7. https://onlinenotebank.wordpress.com/2022/01/15/operation-blackboard/(Accessed on 1st December 2023)

रजनी द्विवेदी *पाठशाला* के सम्पादन कार्य से जुड़ी हैं। लम्बे समय तक विद्या भवन उदयपुर में शिक्षा पर कार्य किया है। भाषा और भाषा शिक्षण में विशेष दिलचस्पी है। पत्रिकाओं में शिक्षा पर लेख लिखती रहती हैं। आपने *भाषा का बुनियादी तानाबाना* किताब के लेखों का चयन और सम्पादन किया है।

सम्पर्क : rajni.dwivedi@azimpremjifoundation.org